न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 52/2018

राजेन्द्र पुत्र फूलदास उम्र 40 साल, जाति स्वामी निवासी इन्द्रपुरा जिला झुंझुनू।
—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू
— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 27.8.2018
मु0नं016/2018 सरकार बनाम श्रवण आदि प्रकरण अं0 धारा 91
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट ---- ----------- अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक -------- रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 28.06.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.08.2018 उनवानी सरकार बनाम श्रवण आदि मु0नं0 16/2018 अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —निर्णय दिनांक 27.8.2018 पारित करने से पूर्व प्रकरण में दिनांक 2.8.2018 को पत्रावली वास्ते तलबी में नियत थी, जिस पर अपीलार्थी की तामील नहीं हुई। इसके बाद पत्रावली में कोई आदेश चशपान्दगी बाबत तामील के लिए नहीं हुआ था,लेकिन इसके बावजूद आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.8.2018 को अपीलार्थी की तामिल कोई चशपान्दगी नहीं होने के बावजूद गलत रूप से चश्मान्दगी मानकर एक तरफा कार्यवाही अपीलार्थी के विपरित कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लेने पर अपीलार्थी ने अन्तरण प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलेटर झुंझुनू के प्रस्तुत किया जिस पर नोटिस जारी कर बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 27.8.2018 को मांगी गई,लेकिन इन सबके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये और ना ही अपीलांट को जिरह के लिए अवसर दिया गया। इसलिए पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

98

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 27.8.2018 अपास्त एवं निरस्त फरमाया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। ना ही प्रकरण में हल्का पटवारी के बयान लिये गये और अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया। पारित आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.8.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय 27.8.2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 1160/327 कुल कबा 0.568 किस्म गै0मु0 रास्ते में से रकबा 0.0042 हैक्टर पर टीनसैड आदि डालकर पक्का निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध किये जाने पर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 27.8.2018 पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 27.8.2018 उनवानी सरकार बनाम श्रवण आदि मु0नं0 16/18 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू